

कर्मचारी समृद्धि
ऋण योजना लागू

बारां,। केंद्रीय सहकारी बैंक बारां के कार्यक्षेत्र अर्थात बारां जिले में निवास करने वाले सरकारी, अर्द्ध सरकारी एवं बैंक कर्मचारियों की भौतिक आवश्यकताओं, व्यवसाय वृद्धि, बच्चों की शिक्षा, शादी, सामाजिक उत्सव एवं अन्य दायित्वों के निर्वहन में सक्षमता बनाए रखने हेतु बैंक द्वारा कर्मचारी समृद्धि ऋण योजना लागू की गई है। इस बारे में जानकारी देते हुए प्रबन्ध निदेशक सीमित्र कुमार मंगल ने बताया कि योजनान्तर्गत राज्य सरकार, भारत सरकार के गजेटेड अधिकारियों का अधिकतम राशि रुपये 10 लाख, नॉन गजेटेड एवं अन्य पात्रता धारकों को अधिकतम 5 लाख तक का ऋण पुनर्भुगतान क्षमता के आधार पर स्वीकृत किया जा सकेगा।

फर्म को शीघ्र कार्य प्रारंभ करने के दिए निर्देश

जालोर। राजस्थान धरोहर प्राधिकरण के अध्यक्ष आंकार सिंह लखावत ने जिला मुख्यालय पर पीएम श्री राजकीय उच्च माध्यमिक जालोर परिसर में वीरमदेव कान्हडेव चौहान पैनोरमा के लिए आवंटित भूमि स्थल का निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान राजस्थान धरोहर प्राधिकरण के अध्यक्ष आंकार सिंह लखावत ने वीरमदेव कान्हडेव पैनोरमा के संबंध में एक वर्ष से अधिक समय बीत जाने के उपरांत भी निर्माण कार्य प्रारंभ न होने पर असंतोष जताते हुए संबंधित फर्म को शीघ्र निर्माण कार्य प्रारंभ करने के निर्देश दिए। इस दौरान उप सभापति अम्बालाल व्यास, जालोर तहसीलदार बाबूसिंह राजपुरोहित, विशेषाधिकारी कुलदीप देवल, एडवोकेट सुरेश सोलंकी, केशव व्यास, दिनेश महावर, नाथु सोलंकी आदि उपस्थित रहे।

नाममात्र सदस्यों को मिल पाया फसली ऋण

मारवाड़ का मित्र नेटवर्क
Www.marwadkamitra.in

जालोर। जालोर एवं सांचौर जिले में ग्राम सेवा सहकारी समितियों के माध्यम से केंद्रीय सहकारी बैंक द्वारा सरकार की ब्याज मुक्त महत्वपूर्ण योजना में रबी सीजन में ऋण वितरण प्रक्रिया को त्वरित गति से संपन्न करवाकर अधिक से अधिक किसानों को लाभ पहुंचाने के लिए सीसीबी प्रबंध निदेशक जमीनी स्तर पर जुड़ा रहे हैं, कारण हैं कि प्रधान कार्यालय से लेकर सीसीबी की शाखाओं में स्टफ की कमी के चलते जरूरतमंद को फसली ऋण मुहैया नहीं हो पा रहा है। इस रबी सीजन

पंचायतों के वित्तीय सशक्तीकरण को बनेगा फ़ेमवर्क

मारवाड़ का मित्र नेटवर्क
Www.marwadkamitra.in

नई दिल्ली, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मंत्र सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास को केंद्र सरकार शासन व्यवस्था में भी धरातल पर उतारना चाहती है। इसी सोच के अनुरूप पंचायतीराज संस्थाओं को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने के लिए पंचायतीराज मंत्रालय ने कमर कसी है। इस दिशा में पहल करते हुए मंत्रालय केंद्रीय वित्त आयोग के सहयोग से राज्य वित्त आयोगों, संबंधित मंत्रालयों और संस्थानों को सहभागि बनाते हुए 14 नवंबर को नई दिल्ली में वित्त आयोग सम्मेलन आयोजित करने जा रहा है। इसमें विभिन्न पहलुओं पर अधिकारियों और विशेषज्ञों द्वारा जो मंथन किया जाएगा, उसके आधार पर ग्रामीण स्थानीय निकायों को वित्तीय रूप से सशक्त बनाने के लिए फ़ेमवर्क तैयार किया जाएगा।



विकास के लिए हस्तांतरण थीम पर वित्त आयोगों का राष्ट्रीय सम्मेलन नई दिल्ली स्थित विज्ञान भवन में 16वें केंद्रीय वित्त आयोग के अध्यक्ष डा. अरविंद पनगढ़िया और पंचायतीराज मंत्रालय के सचिव विवेक भारद्वाज की संयुक्त अध्यक्षता में आयोजित किया जाएगा। इसमें केंद्रीय वित्त आयोग, राज्य वित्त आयोगों, पंचायतीराज स्थानीय निकायों को वित्तीय रूप से सशक्त मंत्रालय, ग्रामीण विकास मंत्रालय व शहरी विकास मंत्रालय के अधिकारियों

के बावजूद वित्तीय अधिकारों व कार्यबल के हस्तांतरण और अनुदान के संबंध में कई राज्यों में पंचायतीराज संस्थाओं को चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है। इसके क्या कारण हैं और इन्हें दूर करते हुए कैसे राज्य वित्त आयोगों के समयबद्ध गठन, सिफारिशों को लागू करने और संस्थागत ढांचे को मजबूत करने के लिए काम किया जा सकता है, इस पर संबंधित अधिकारियों और विशेषज्ञों के विचार लिए जाएंगे। उसके आधार पर ही पंचायतीराज संस्थाओं को वित्तीय रूप से सशक्त और आत्मनिर्भर बनाने के लिए राष्ट्रीय फ़ेमवर्क तैयार किया जाएगा। केंद्र का मानना है कि केंद्र या राज्य सरकार की कल्याणकारी योजनाओं को धरातल पर उतारने और विकसित भारत के संकल्प में ग्रामीण भारत को साथ जोड़ने में सशक्त पंचायतें ही सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती हैं।

प्रत्येक सोसायटी के लेखाओं की लेखापरीक्षा उस वित्तीय वर्ष की समाप्ति के छह मास के भीतर-भीतर किए जाने का नियम

2064 ग्राम सेवा सहकारी समितियों का ऑडिट कार्य 30 नवंबर तक पूर्ण करने के दिए निर्देश

मारवाड़ का मित्र नेटवर्क
Www.marwadkamitra.in

जयपुर। प्रदेश में संचालित 8207 ग्राम सेवा सहकारी समितियों (पैक्स) में से 6143 ग्राम सेवा सहकारी समितियों (पैक्स) का वित्तीय वर्ष 2023-24 के लेखापरीक्षा का कार्य पूर्ण हुआ हैं जबकि 2064 ग्राम सेवा सहकारी समितियां में ऑडिट कार्य शेष हैं, जिसको लेकर सहकारिता विभाग पंजीयक मंजू राजपाल ने गत दिनों समस्त क्षेत्रीय अंकेक्षण अधिकारी एवं विशेष लेखा परीक्षक सहकारी समितियां को पत्र लिखा हैं, जिसके मुताबिक राजस्थान



सहकारी सोसायटी अधिनियम 2001 की धारा 54(3) के तहत प्रत्येक सोसायटी के लेखाओं की लेखापरीक्षा उस वित्तीय वर्ष की समाप्ति के छह मास के भीतर-भीतर किए जाने का नियम निर्धारित हैं, लेकिन ग्राम सेवा सहकारी समितियों के अंकेक्षकों द्वारा समितियों की निर्धारित समयावधि में ऑडिट नहीं कर

12909 समितियां ऑडिट से शेष

प्रदेश में ग्राम सेवा सहकारी समितियों के अलावा अन्य 23327 सहकारी समितियां संचालित हैं, जिनमें से 10418 समितियों की ही विधीय वर्ष 2023-24 की ऑडिट संपन्न हुई, वहीं 12909 समितियां ऑडिट से शेष हैं, इस स्थिती में भी सहकारिता विभाग पंजीयक ने 15 दिसंबर तक ऑडिट पूर्ण करने के निर्देश दिए हैं, साथ ही इस निर्धारित समयावधि में ऑडिट पूर्ण नहीं करने वाले सीए/सीए फर्मस् के विरुद्ध विभागीय पैनेल की शर्तों के अनुसार कार्यवाही अमल में लाने के निर्देश दिए गए हैं।

अधिनियम के प्रावधनों एवं विभागीय पैनेल पंजीकरण की शर्तों का उल्लंघन किया जा रहा हैं। ऐसी स्थिती में अंकेक्षकों, सीए/सीए फर्मस् को आंवटित समितियों की ऑडिट 30 नवंबर

विकसित भारत के निर्माण में सहकारिता की भूमिका महत्वपूर्ण

चूरा जिले में 71वें अखिल भारतीय सहकार सप्ताह का शुभारंभ उत्साहपूर्वक किया गया। इस क्रम में, दी चूरा सेंट्रल को-ऑपरेटिव बैंक के प्रधान कार्यालय में सहकारिता मंत्रालय की नवीन पहलों के माध्यम से सहकारी आंदोलन को सशक्त बनाने पर एक संगोष्ठी आयोजित की गई। साथ ही इस वर्ष के सहकार सप्ताह की थीम ‘विकसित भारत के निर्माण में सहकारिता की भूमिका’ पर विस्तार से विचार-विमर्श किया गया। इस दौरान सहकारी आंदोलन को मजबूती प्रदान करने पर विचार-विमर्श हुआ।

एनएफएसए से अपात्र उपभोक्ताओं की छंटनी के लिए चलेगा अभियान छंटनी अभियान से पूर्व अपात्र उपभोक्ता स्वेच्छा से एनएफएसए का लाभ छोड़ने के लिए कर सकेंगे आवेदन

मारवाड़ का मित्र नेटवर्क
Www.marwadkamitra.in

जालोर। खाद्य विभाग द्वारा राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना का लाभ प्राप्त करने वाले अपात्र उपभोक्ताओं की छंटनी के अभियान से पहले स्वेच्छा से एनएफएसए में राशन का गेहूं छोड़ने वालों से आवेदन मांगे गए हैं। संभवतः स्वेच्छा से आवेदन करने वाले अपात्र उपभोक्ता विभागीय कार्रवाई से बच सकते हैं। जिला रसद अधिकारी ने बताया कि राज्य सरकार द्वारा राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम-2013 में अपात्रों का छंटनी अभियान

शुरू किया गया है। अतिरिक्त खाद्य आयुक्त पूनम प्रसाद सागर ने 29 अक्टूबर को पत्र जारी करके खाद्य सुरक्षा अधिनियम के लाभाधिक्यों में निष्कासन की श्रेणी में आने के बाद भी एनएफएसए से जुड़ा हुआ पाये जाने पर रसद विभाग की ओर से कानूनी कार्रवाई के साथ वसूली के दायरे में आ जाएगा। वहीं स्वेच्छा से नाम कटवाने वालों को विभागीय कार्रवाई से मुक्त रखा जाने की उम्मीद है।

कर्मचारी से हो गई वसूली

राज्य में 5 वर्ष पहले एनएफएसए में एक रुपये कितने का गेहूं उठाते वाले लाखों राज्य कर्मचारी और फिर केन्द्र सरकार के कर्मचारी के जुड़े होना पाया गया था। रसद विभाग ने योजना का आधार से जुड़ने ही लाखों राज्य व केन्द्र कर्मचारी और उनके परिवार वसूली के दायरे में आ गए। विभाग ने वसूली की कार्यवाही करते हुए एक रुपये कितने में मिलने वाले राशन के गेहूं की 27 रुपये प्रति किलो के हिसाब से वसूली की गई थी।

“राज में इस वर्ष अंशदा से अधिक वर्ष होने के फलस्वरूप बुवाई क्षेत्रफल बढ़ने के साथ ही उर्वरक की मांग में बढ़ोतरी हुई है। ऐसे में कृषकों से अनुरोध है कि उर्वरक का आवश्यकानुसार उपयोग करें, अव्यवस्थित रूप से अतिरिक्त भण्डारण न करें ताकि उर्वरक की मांग तथा आपूर्ति का संतुलन कायम रहे।”

भजनलाल शर्मा, मुख्यमंत्री

एसएसपी, यूरिया उर्वरक अपनाओ संतुलित पोषण, अधिक उपज पाओ

सिलव पुरा फील्डेट (एसएसपी) एक फील्डरस मुक्त उर्वरक है, जिसकी 44 प्रतिशत यूरियासय एवं 1 प्रतिशत सल्फर की मात्रा पायी जाती है। इससे उच्चव्यय सल्फर के कारण यह उर्वरक मिट्टाही एवं खदही फसलों के मित्रे अन्न उर्वरक की अपेक्षा अधिक लाभदायक है।

एसएसपी उर्वरक का उपयोग राज्य में होने के कारण आसानी से उपलब्ध है।

कृषकों के अलावा पर एसएसपी + यूरिया अणुसं, संतुलित पोषण द्वारा अधिक उपज पाओ।

50 = 150 + 45

यूरिया 50 किग्रा, एसएसपी 20 किग्रा, यूरिया 45 किग्रा

फसलों में मुख्य पोषक तत्वों की संतुष्टि आपूर्ति हेतु उपयुक्त पन्थीके प्रेशर उर्वरकों का उपयोग करें।

किसान भाई अव्यवस्थात अनुसार ही उर्वरकों की खरीद करें, अव्यवस्थित भण्डारण नहीं करें।

उर्वरकों के सतुलित वितरण में कृषि विभाग एवं कित्ता प्रसारण का सहयोग करें।

उर्वरक उपलब्धता एवं उपयोग संबंधी अधिक जानकारी के लिए/ जानकारी की उपयुक्त प्राराय हेतु पर कृषि विभाग के हेल्पलाइन 0141-2227674 पर सम्पर्क करें।

कृषि विभाग, राजस्थान
https://rajgovt.nic.in/rajasthan/govt/raj/

सहकारिता विभाग ने विधायक के सवाल पर बताया कि राज्य सरकार के संकल्प पत्र में 1 लाख करोड़ रुपए का फसली ऋण देने के लक्ष्य अगले पांच वर्षों में किसानों को मिलेगा शुन्य प्रतिशत ब्याज दर पर 1 लाख करोड़ रुपए का फसली ऋण

मारवाड़ का मित्र नेटवर्क
Www.marwadkamitra.in

जयपुर। प्रदेश में किसानों को राज्य सरकार की ओर से सीजनली ब्याज मुक्त फसली ऋण मुहैया कराया जा रहा हैं, निर्धारित तिथि पर ऋण का चुकारा करने वाले किसानों को शुन्य प्रतिशत ब्याज दर का लाभ मिल रहा हैं, राज्य सरकार की इस योजना का क्रियावन्यन सहकारिता विभाग द्वारा किया जा रहा हैं, जहां गांव स्तर पर ग्राम सेवा सहकारी समितियों के जरिए केंद्रीय सहकारी बैंकों द्वारा किसानों को उनकी साख के अनुसार अल्पकालीन फसली ऋण उपलब्ध करवाया जाता हैं, आने वाले पांच वर्षों में ब्याज मुक्त योजना के तहत सरकार एक लाख करोड़ का फसली ऋण देने पर विचार कर रही हैं, ऐसा सहकारिता विभाग ने विधानसभा में एक अतांयकित प्रश्न के प्रतिउत्तर में कहा हैं, दरअसल, विधायक

लक्ष्य में नहीं हुई बढ़ोतरी

प्रदेश में ब्याज मुक्त योजना में केंद्रीय सहकारी बैंकों के माध्यम से ग्राम सेवा सहकारी समितियों से वितरित होने वाले फसली सहकारी ऋण को लेकर गत सरकार की ओर से वित्तीय वर्ष 2023-24 की बजट घोषणा में 23 हजार करोड़ का लक्ष्य रखा गया था, वर्तमान सरकार ने इसमें कोई बढ़ोतरी नहीं की और सरकार ने बजट घोषणा में 23 हजार करोड़ का ही लक्ष्य निर्धारित किया हैं। इसके अलावा ब्याज मुक्त योजना से 5 लाख नए किसानों को जोड़ने की घोषणा हुई, जिससे प्रेरित होकर कई किसानों ने ऋण के लिए आवेदन किया, जब ऋण देने की बारी आई तो किसान सदस्यों को 1.50 लाख की साख सीमा स्वीकृत कर महज 15 हजार ऋण थमा दिया गया, उसमें से भी सहकारी जीवन सुरक्षा एवं दुर्घटना बीमा भी अनिवार्य रूप से करवाना पड़ रहा हैं। जिससे लघु एवं सीमांत किसानों को उनकी जमीन में फसल बुवाई के लिए मिलने वाली फसली ऋण राशि से पर्याप्त खाद-बीज भी बाजार भाव में नहीं मिल पा रहें हैं।

मनीष यादव ने सोलहवी विधानसभा के दूसरे सत्र में 23 जून 2024 को किसानों को ऋण देने की कार्ययोजना से संबंधित प्रश्न अंकित कर सहकारिता विभाग से जवाब मांगा था, जिसके प्रतिउत्तर में विभाग ने कहा कि राज्य में वर्तमान सरकार के गठन

से लेकर 17 जून तक सीसीबी से संबंध सहकारी समितियों द्वारा 15 दिसंबर 2023 से 31 मार्च 2024 यानि रबी सीजन में 16 लाख 21 हजार 134 किसानों को 6744.95 करोड़ तथा 1 अप्रैल 2024 से 17 जून 2024 यानि खरीफ सीजन

23 हजार करोड़ का वित्तीय वर्ष 2024-25 में लक्ष्य निर्धारित

6744.95 करोड़ का ऋण 15 दिसंबर 2023 से

31 मार्च 2024 तक वितरित

6871.16 करोड़ का ऋण 1 अप्रैल 2024 से 17

जून 2024 तक वितरित

में 17 लाख 45 हजार 518 किसानों को 6871.16 करोड़ का ऋण उपलब्ध कराया गया हैं, इन किसानों को जिला स्तरीय तकनीकी समिति द्वारा निर्धारित मानदण्डों के अनुसार कृषक की जोत, उसके द्वारा बोई जाने वाली फसलों एवं केंद्रीय सहकारी बैंक के पास उपलब्ध वित्तीय संसाधनों के

स्वीकृत साख सीमा के अनुरूप नहीं दिया जा रहा ऋण

प्रदेश की बाड़मेर एवं जालोर केंद्रीय सहकारी बैंक पिछले छह वर्षों में करीब 4 लाख 41 हजार 691 किसानों में से एक भी किसानों को उसकी साख सीमा के अनुरूप 1.50 लाख का पूरा ऋण नहीं दे पाई हैं, जब भी इसकी चर्चा होती हैं, तो विभाग एवं सीसीबी द्वारा यह कहकर टाल दिया जाता हैं कि केंद्रीय सहकारी बैंक के पास उपलब्ध वित्तीय संसाधनों के आधार पर अल्पकालीन फसली ऋण दिया जाता है।

आधार पर अल्पकालीन फसली ऋण दिया जाता है। वहीं, विधायक के मूल सवाल पर विभाग ने लिखित में बताया कि वित्तीय वर्ष 2024-25 में केंद्रीय सहकारी बैंकों के माध्यम से किसानों को 23 हजार करोड़ का अल्पकालीन फसली ऋण वितरित करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया हैं।

गुन्दाऊ ग्राम सेवा सहकारी समिति लिमिटेड गुन्दाऊ

किसानों से अपील

एकमुश्त समायान योजना 2024 का लाभ उठाने के लिए ग्राम सेवा सहकारी समिति लिमिटेड या जालोर केंद्रीय सहकारी बैंक लिमिटेड की अग्रगण्य शाखा में संपर्क करें।

देव दिपावली के पावन पर्व पर आप सब को हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं

अल्पकालीन फसली ऋण का समय पर चुकारा कर, सोसाइटी एवं बैंक की प्रगति में भागीदार बनें और आगामी सीजन में पुनः फसली ऋण प्राप्त करने की पात्रता अर्जित करें।

श्रीमति सीता कंवर
अध्यक्ष

श्री जगदीश सिंह चंपावत
मुख्य कार्यकारी व्यवस्थापक

श्री चेन्ननाथ
सहायक व्यवस्थापक

सहकारिता का ध्येय वाक्य “एक सब के लिए, सब एक के लिए”

लंबित बीमा क्लेमों के निस्तारण के लिए राज्य सरकार कर रही प्रयास

मारवाड़ का मित्र नेटवर्क
Www.marwadkamitra.in

जयपुर,। केन्द्र व राज्य सरकार किसानों के सशक्तिकरण, समृद्धि और भरपूर फसल उत्पादन की दिशा में पूरी गंभीरता से प्रयासरत है। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के अन्तर्गत कृषकों के विगत वर्षों के लंबित बीमा क्लेमों के निस्तारण के लिए राज्य सरकार सदैव प्रयास कर रही है। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजनान्तर्गत वर्षों से लंबित किसानों के बीमा क्लेमों को शीघ्र वितरित कराये जाने हेतु कृषि एवं उद्यानिकी मंत्री डॉ0 किरोड़ी लाल द्वारा विभागीय अधिकारियों को निर्देश प्रदान किये गये। फसल बीमा योजना के अन्तर्गत वर्ष 2017 से 2022-23 तक बीमा कंपनियों में लगभग 77 करोड़ 98 लाख रुपये के बीमा क्लेम लंबित है। लंबित क्लेमों में बैंक खाता सेबन्धी कमियों के कारण भुगतान नहीं हो

पाया है। लंबित बीमा क्लेम के निस्तारण हेतु कृषि पर्यवेक्षक एवं सहायक कृषि अधिकारियों द्वारा कैप लगाकर प्रभावित किसानों के आवश्यक दस्तावेज आधार कार्ड, नवीन बैंक खाते का विवरण, मृत्यु होने की दशा में मृत्यु प्रमाण पत्र एवं अन्य आवश्यक दस्तावेज इकट्ठे कर संबंधित कमियों को दूर कर, लंबित बीमा क्लेमों के निस्तारण की कार्यवाही शीघ्र की जायेगी, जिससे किसानों को राहत मिल सकेगी। गत वर्षों के लंबित बीमा क्लेम वितरित कराने के निर्देश भी राज्य सरकार द्वारा जारी किये गये हैं।जिनके भुगतान बैंक खाता व आधार सत्यापन के अभाव में विफल हो गये थे। इस हेतु जिला कलक्टर की अध्यक्षता में संबंधित बीमा कंपनी के साथ बैठक आयोजित कर योजनान्तर्गत नवेबर 2024 तक लंबित बीमा क्लेम शीघ्र वितरित किये जाने के निर्देश दिये गये हैं।

वाली ग्राम सेवा सहकारी समिति लिमिटेड वाली

किसानों से अपील

एकमुश्त समायान योजना 2024 का लाभ उठाने के लिए ग्राम सेवा सहकारी समिति लिमिटेड या जालोर केंद्रीय सहकारी बैंक लिमिटेड की बुवाईया शाखा में संपर्क करें।

देव दिपावली के पावन पर्व पर आप सब को हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं

अल्पकालीन फसली ऋण का समय पर चुकारा कर, सोसाइटी एवं बैंक की प्रगति में भागीदार बनें और आगामी सीजन में पुनः फसली ऋण प्राप्त करने की पात्रता अर्जित करें।

श्री हीराराम चौधरी
अध्यक्ष

श्री डायाराम देवासी
मुख्य कार्यकारी व्यवस्थापक

श्री मुकेश कुमार
सहायक व्यवस्थापक

सहकारिता का ध्येय वाक्य “एक सब के लिए, सब एक के लिए”

असहाय नगर निकाय

इस पर हैरानी नहीं कि नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक यानी कैग ने यह पाया कि देश के अधिकांश नगर निकाय न तो अपने स्रोतों से धन जुटाने में समर्थ हैं और न ही आवंटन के जरिये मिले पैसे का पूरा उपयोग कर पाने में। स्पष्ट है कि ऐसे में शहरों की स्थिति सुधरने की जो आशा की जा रही है, वह पूरी होने वाली नहीं है। कैग की रिपोर्ट से यह भी पता चलता है कि राज्य सरकारें अपने नगर निकायों को वांछित अधिकार देने को तैयार नहीं। वे इस पर भी ध्यान नहीं दे रही हैं कि नगर निकाय कर्मचारियों की कमी का सामना कर रहे हैं। यह विचित्र है कि जो राज्य सरकारें संघीय ढांचे का हवाला देकर केंद्र पर यह आरोप लगाती रहती हैं कि वह उन्हें पूरी स्वतंत्रता से काम नहीं करने देती, वे अपने नगर निकायों को 74वें संविधान संशोधन अधिनियम के तहत मिली आवश्यक शक्तियां देने को तैयार नहीं। आखिर आवश्यक अधिकारों के अभाव में नगर निकाय अपना काम सही तरह से कैसे कर पाएंगे? ऐसा लगता है कि राज्य सरकारें यह बुनियादी बात समझने को तैयार नहीं कि शहरी निकाय एक तरह से शासन की तीसरी इकाई हैं और उनका समर्थ होना आवश्यक है। निःसंदेह उन्हें समर्थ बनाने के साथ ही इसकी भी आवश्यकता है कि उन्हें उनके कार्यों के लिए जवाबदेह बनाया जाए। यह ठीक नहीं कि राज्य सरकारें इनमें से भी कोई काम नहीं कर रही हैं। उचित यह होगा कि केंद्र सरकार केंद्र शासित प्रदेशों के जरिये राज्यों के समक्ष ऐसा कोई उदाहरण पेश करे कि शहरी निकायों को किन अधिकारों से लैस होना चाहिए, उन्हें अपना काम कैसे करना चाहिए और खुद को आर्थिक रूप से सक्षम कैसे बनाना चाहिए? यह समझा जाना चाहिए कि शहरों की सूरत तब तक नहीं संवर सकती, जब तक नगर निकाय प्रशासनिक और आर्थिक रूप से सक्षम बनने के साथ ही शहरों के विकास की ऐसी योजनाएं बनाने में समर्थ नहीं होते, जो दीर्घकालिक और भविष्य की जरूरतों को पूरी करने वाली हों। चूंकि आम तौर पर शहरी विकास की ज्यादातर योजनाएं समस्याओं का फौरी समाधान करती दिखती हैं, इसलिए तमाम विकास कार्यों के बाद भी शहरों में विभिन्न समस्याएं सदैव सिर उठाए हुए दिखती हैं। क्या यह किसी से छिपा है कि किस तरह नए बने रास्ते, लाईओवर, बाईपास आदि किस तरह कुछ समय बाद अपर्याप्त सिद्ध होने लगते हैं? पता नहीं क्यों आज भी शहरी योजनाएं यह ध्यान में रखकर नहीं बनाई जाती कि आज से 50-60 साल बाद आबादी क्या होगी और उसके लिए कैसा आधारभूत ढांचा चाहिए होगा? कभी-कभी तो यह लगता है कि इस पर कोई विचार ही नहीं करता कि आज जो बुनियादी ढांचा बनाया जा रहा है, वह भविष्य की चुनौतियों का सामना कर सकेगा या नहीं? यह स्थिति तब है, जब देश के सभी छोटे-बड़े शहरों की आबादी बढ़ती जा रही है।

खेती का बदला चलन

आठ से 10 किस्में
बोते हैं किसान,
बीते 10 वर्ष तेजी
से बढ़ा रकबा

मारवाड़ का मित्र नेटवर्क
Www.marwadkamitra.in

बाँसवाड़ा, कभी मक्का उत्पादन का गढ़ रहा बाँसवाड़ा अब भरपूर गेहूँ उगा रहा है। रबी सीजन में मक्का की फसल अब सिमट गई है। इस वर्ष विभागे ने फसलों के प्रस्तावित लक्ष्य 1 लाख 53 हजार 914 हेक्टेयर में से अकेले गेहूँ का प्रस्तावित लक्ष्य 115000 हेक्टेयर रखा है, जो कुल फसलों के उत्पादन का 75.11 फीसदी है। बदलाव की इस बयार में किसान गेहूँ की कई किस्म चुन रहे हैं। पहले किसान सिर्फ टुकड़ी गेहूँ (3077) की बुवाई कर लेते थे, अब खेतों में 10-12 किस्म का



गेहूँ बोया जा रहा है। इनमें भी 7 किसानों अधिक प्रचलन में हैं। गेहूँ उत्पादन से अब स्थानिकीय स्तर पर गेहूँ को डिमांड पूरी हो रही है। हालांकि गेहूँ उत्पादन बढ़ने का विपरीत असर अरहर और चना उत्पादन पर है। दोनों ही फसलों का रकबा बीते वर्षों की तुलना में कम हुआ है।

नॉन कमांड में इजाजा ज्य़ादा. बांसवाड़ा में नॉन कमांड क्षेत्र में किसानों ने गेहूँ को

एमएसपी से किसानों को भरोसा देने की कोशिश

-અમિત બૈજનાથ ગર્ગ

किसान संगठन कहते हैं कि सरकार फसलों के विविधीकरण पर जोर दे रही है, लेकिन ये सरकार के रुख पर निर्भर करता है। किसान चाहते हैं कि सरकार तमाम फसलों के लिए जो एमएसपी घोषित करती है, उसकी गारंटी दी जाए। अगर सरकार ये गारंटी देती है, तो फसलों का विविधीकरण अपने आप हो जाएगा। अगर दलहन और तिलहन बेचने से किसान को ज्यादा मुनाफा होगा, तो वो धान और गेहूं क्यों पैदा करेगा। एमएसपी बढ़ाने को लेकर केंद्र सरकार का तर्क है कि इससे किसानों की आय बढ़ेगी।

निमोद पैक्स को नेफस्कोब देगा सुभाष यादव

पुरस्कार, सहकार नेता ने उपलब्धि पर दी बधाई

मारवाड़ का मित्र नेटवर्क
Www.marwadkamitra.in

जयपुर । अखिल भारतीय स्तर पर उच्छ्रष्ट प्रदर्शन करने वाली निमोद ग्राम सेवा सहकारी समिति को नेशनल फेडरेशन ऑफ स्टेट को-ऑपरेटिव बैंक्स (नेफ्सकोब) की ओर से सुभाष यादव पुरस्कार दिया जाएगा, यह पुरस्कार भारत मंडयम, प्रगति मैदान नई दिल्ली में मंगलवार 26 नवंबर को प्रदान किया जाएगा । इस संबंध में प्राप्त सूचना के अनुसार नेफ्सकोब ने वर्ष 2022-23 एवं 2023-24 के लिए पुरस्कारों की घोषणा की है, उल्लेखनीय है कि निमोद समिति का पुरस्कार जीतने का सिलसिला बहुत पुराना है, जिला स्तर पर ऋण वसूली के क्रम में सीसीबी नागौर द्वारा पिछले 35 वर्षों से लगातार 100 प्रतिशत उपलब्धि के लिए प्रतिवर्ष प्रमाणपत्र दिया जा रहा है, वही अवसर बैंक द्वारा समिति को कार्य दक्षता के वर्ष 2003-04 एवं 2006-07 में पुरस्कार दिया गया, नेशनल को-ऑपरेटिव डेवलपमेंट कॉरपोरेशन द्वारा वर्ष 2021 में राजस्थान राज्य स्तरीय प्रार्थमिक ऋणदात्री सहकारी समिति श्रेणी में उच्छ्रुता का पुरस्कार दिया गया, इसी प्रकार निमोद समिति को पूर्व में राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम नई दिल्ली द्वारा वर्ष

हाल ही में केंद्र सरकार ने छह रबी फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य एमएसपी में वृद्धि की है। यह वृद्धि न्यूनतम 130 रुपए एवं अधिकतम तीन से रुपए प्रति क्विंटल है। गेहूँ हा के एमएसपी में 150 रुपए प्रति क्विंटल की वृद्धि कर 2425 रुपए प्रति क्विंटल कर दिया गया है। सबसे ज्यादा वृद्धि रेपसीड और सरसों के दाम में हुई है। इसमें प्रति क्विंटल तीन से 275 रुपए बढ़ाया गया है। इसी तरह मसूर के दाम में 275 रुपए प्रति क्विंटल की वृद्धि की गई है। सरकारी दर पर रबी फसलों की खरीद बिक्री का सत्र अप्रैल 2025 से शुरू होगा। खास बात यह है कि अधिकतर फसलों की एमएसपी अब लागत के लगभग डेढ़ गुना हो चुकी है, जिसकी मांग किसानों की ओर से लगातार हो रही थी। सरकार की ओर से एमएसपी में अब तक 23 फसलों को शामिल किया जा चुका है। असल में एमएसपी बढ़ाने को लेकर किसान लगातार आंदोलन करते रहे हैं। अब सवाल यह है कि क्या इस बार एमएसपी बढ़ने से अगली बार आंदोलन नहीं होगा। किसान पहले एमएसपी को समझने की कोशिश करते हैं। एमएसपी सरकार द्वारा किसानों से तय दर पर फसल खरीदने की गांटी है। इसका मकसद किसानों को उनकी फसल पर कम से कम एक निश्चित राशि देना है। एमएसपी की वजह से किसानों को बाजार के उतार-चढ़ाव से सुरक्षा मिलती है। एमएसपी की शुरुआत साल 1967 में हुई थी। एमएसपी तय करने के लिए कृषि लागत एवं मूल्य आयोग की रिपोर्ट का इस्तेमाल किया जाता है। सीएसपी उत्पादन लागत बाजार के रूझान और मांग-आपूर्ति के हिसाब से एमएसपी तय करता है। एमएसपी की गणना के लिए सीएसपी खेती की लागत को तीन हिस्सों में बांटा है। इसमें फसल के भरोसे फसल के लिए मजबूर हो जाता है। वहीं कृषि विशेषज्ञों का उत्पादन

नेफस्कोब देग

र नेता ने उपलब्धि पर दी बधाई



सहकार नेता आमेरा ने दी बधाई

ऑल इंडिया को-ऑपरेटिव बैंक एपलाइज फेडरेशन के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष, सहकारी साख समितियाँ एपलाइज यूनियन राजस्थान के प्रांतीय अध्यक्ष, ऑल राजस्थान को-ऑपरेटिव बैंक एपलाइज यूनियन व ऑफिसर्स एसोसिएशन के महासचिव सहकार नेता सूरजभानसिंह आमरे ने निमोद पैक्स के निर्वाचित संचालक मण्डल एवं संसत् समस्त कर्चारियों को इस राष्ट्रीय पुरस्कार के लिए बधाई दी है। साथ ही, सहकार नेता ने प्रदेश के सभी पैक्स कर्मियों को सहकार से समृद्धि में पैक्स एज एमएससी में अपनी-अपनी पैक्स को आर्थिक मजबूत बनाने के लिए आह्वान किया है, उन्होंने कहा कि निमोद पैक्स की व्यावसायिक गतिविधियाँ, कारोबार, कार्य संस्कृति, अनुशासन एवं उपलब्धियों से राज्य की सभी सहकारी बैंकों एवं संस्थाओं के प्रबंधन व कर्मियों को प्रेरणा लेकर, अनुसरण कर अपनी संस्थाओं में सहकार से संचालक के लिए प्रयास कर रहे चाहिए। वहीं निमोद पैक्स के अध्यक्ष खेमराज बुगालिया और संचालक मंडल एवं समिति के गुरु शिष्टी सुभाषचंद और तथा कर्मिकां को लगातार अनेक स्थानों से सारहना एवं प्रशंसा के समाचार प्राप्त हो रहे हैं।

2011-12 का उत्कृष्ट पुरस्कार तत्कालीन महामहिम राष्ट्रपति श्री प्रणव मुखर्जी के कर कमलों द्वारा 8 दिसंबर 2012 में प्राप्त हुआ। इसके बाद सुभाष यादव

पुरस्कार वर्ष 2021 के लिए पुनः प्रथम एवं द्वितीय पुरस्कार तथा अखिल भारतीय स्तर पर नेफ्सकोब का वर्ष 2021-22 के लिए तिहरे पुरस्कार दिया गया।

बाँसवाड़ा का सामान्य तापमान	
माह - अधिकतम तापमान - न्यूनतम तापमान	
अक्टूबर - 32.8 - 21.7	
नवंबर - 29.4 - 18.5	
दिसंबर - 26.2 - 14.5	
जनवरी - 5.5 - 13.4	
फरवरी - 28.3 - 15.6	
मार्च - 33.5 - 20.2	
अप्रैल - 38.4 - 24.5	
तापमान डिग्री सेल्सियस में, बदलाव संभव	
जिले में ये रक गेहूँ का रकबा	
वर्ष :	रकबा हेक्टेयर
2017-18 :	84265
2018-19 :	87641
2019-20 :	85873
2020-21 :	94516
2021-22 :	98268
2022-23 :	126465
2023-24 :	108692
2024-25 :	115000
(प्रास जानकारी के आधार)	



लिए किसानों के नकदी खर्च के स
परिवारिक श्रम का भी हिस्सा लगा
जाता है। एमएसपी में बढ़ोतरी से किसान
को लाभकारी मूल्य मिलता है और फस
विविधिकरण को बढ़ावा मिलता
असल में एमएसपी को लेकर किसानों
कई बार आंदोलन किया है। ये हर फस
को एमएसपी पर खरीदने को मांग कर
हैं। इसके लिए पिछली बार उन्होंने लगभ
सर्वा फसलों को एक सूची बनाकर
सौंपी थी। किसान संगठन कहते हैं
सरकार फसलों के विविधिकरण
जोर दे रही है, लेकिन ये सरकार के रु
पर निर्भर मत है। किसान चाहते
कि सरकार समाप्त फसलों के लिए
एमएसपी घोषित करती है, उसकी गारंटी
दी जाए। अगर सरकार ये गारंटी देती
तो फसलों का विविधिकरण अपने अ
हो जाएगा। अगर दलान और तिल
बेबन से किसान को ज्यादा मुनाफा मिले
तो धान और गेहूँ क्यों पैदा करेंगे
एमएसपी बढ़ाने को लेकर केंद्र सरकार
का तर्क है कि इससे किसानों की आय
बढ़ेगी। हालांकि किसान नेता सरकार
के इस दावे से सहमत नहीं हैं। उन
कहना है कि किसानों की आय बढ़ने
के लिए सरकार के कई उपाय हो सकते

है। इसमें एक है मूल्य स्थिरता कोष का गठन यानी कि जब फसलों की बाजार कीमत एसएसपी से नीचे चली जाए, तो सरकार इसकी भरपाई करे। वहीं किसानों को धान-गेहूँ की फसल की बजाय प्यादा कीमत देने वाली फसलों को पैदा करने के लिए प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। उनका कहना है कि कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग की आड़ में किसानों को कंपनियों नहीं छोड़ा जाना चाहिए। ये कंपनियाँ कॉन्ट्रैक्ट ठोड़ा देती हैं और किसानों को घाटा उठावा पड़ता है। इससे किसान कर्ज में डूब जाता है और कई मामलों में आत्महत्या कर देता है। एसएसपी व्यवस्था को दबदबा इस संस्तर में इनोवेशन का हतोत्साहित करेगा। इससे किसान सरकारी व्यवस्था पर निर्भर होकर रह जायेंगे और जोखिम लेने से डरेंगे, इस लिए किसानों को चावल गेहूँ की एसएसपी खरीद के चक्र से छुटकारा दिलाने की जरूरत है। एसएसपी की कानूनी गारंटी किसानों का अहित करेगी। उनका दावा है कि अगर स्वामीनाथन आयोग को मुताबिक फसलों के दाम बढ़ेंगे, तो खाद्य वस्तुओं के दाम 25 से 30 फीसदी बढ़ जायेंगे और सरकार के लिए महंगाई नियंत्रण बेहद कठिन हो जाएगा।

वहीं किसानों का कहना है कि उनकी फसल की पूरी खरीद की जिम्मेदारी सरकार को लेनी होगी। किसान जितनी फसल पैदा करेंगे, उसकी एमएसपी की पूरी खरीद सरकार और उसकी एजेंसियों को करनी होगी। ऐसा करने से ही किसानों का भला होगा और फसलों का विविधीकरण भी पूरा हो जाएगा। सरकार को अपने फैसले किसानों को ध्यान में रखकर ही लेने होंगे। विश्व विशेषज्ञों का कहना है कि खाद्य सुरक्षा आत्मनिर्भरता देश के स्थायित्व और सम्मान का विषय है। एमएसपी खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने के साथ खरने के भीत में कीमतों को निर्धारित करने के लिए हस्तक्षेप तंत्र भी साबित हुआ है। आयात द्वारा खाद्य सुरक्षा कतर, बहरीन आदि जैसे कम आबादी और मजबूत औद्योगिक आर्थिक आधार वाले देशों के लिए एक व्यवहार्य मॉडल हो सकता है। उनका दावा है कि ऑस्ट्रेलिया और अमेरिका प्रतस्पर्धी कीमतों पर दुनिया के बाकी देशों के लिए गेहूँ का उत्पादन और निर्यात कर सकते हैं, लेकिन तब कुछ गतिविधियों से जुड़े भारतीयों सहित दुनिया की आधी आबादी बेरोज़गार हो जाएगी।

(यह लेखक के स्वयं के विचार हैं)



बांसवाड़ा के लोगों को गेहूं खिलाने में सक्षम हो रहे किसान

अब मक्का का गढ़ नहीं रहा बांसवाड़ा, रबी में 75 फिसदी उत्पादन गेहूं का

बुवाई के लिए नवंबर का पहला पखवाड़ा परफेक्ट

किसान नवंबर के पहले पखवाड़े यानि 15 तारीख के पहले बुवाई कर दें, ताकि फरवरी तक दान पक जाए। चूँकि बांस्वाड़ा में फरवरी में तापमान बढ़ने लगता है, ऐसे में गेहूं का दाना पक नहीं पाता और छोटा रह जाता है।

डॉ. हरगिलास मीणा, जोनल डायरेक्टर, कृषि अनुसंधान केंद्र बोरवट, बांसवाड़ा

सिंचाई व्यवस्था से किसानों को मिला संबल

बीते वर्षों में सिंचाई व्यवस्था बढ़ी है। नॉन कमांड क्षेत्र में किसानों को काफी संबल मिला। ओवरऑल गेहूँ का रकबा बढ़ा है। फसल का समय 110 से 120 दिन होता है।

डॉ. दलीप सिंह यादव, संयुक्त निदेशक कृषि (वि.), बांसवाड़ा

बढ़ गई कई प्रजातियां

पूरे जिले में गेहूँ का उपज का अंदाजा लगाना सहज नहीं है, लेकिन पहले की तुलना में किस्में काफी बढ़ गई हैं। पहले टुकड़ी गेहूँ आता था, लेकिन अब स्थानीय किसान कई वैरायटी के गेहूँ उत्पादित करने लगे हैं। व्यापारी भी काफी बढ़ गए हैं, जो इंगित करता है कि जिले में गेहूँ की उपज बढ़ी है।

सोनू दोसी, गेहूं व्यापारी



ग्राम सेवा सहकारी समितियों में व्यवस्थापक पदों पर नियुक्तियों से लेकर चार्ज को लेकर खेला जा रहा खेल, अस्थाई के व्यवस्थापक कर रहे करोड़ों का करोबार

नियमों की पालना के बजाए उपकृत करने की चल रही परंपरा

मारवाड़ का मित्र नेटवर्क
www.marwadkamitra.in

जोधपुर । ग्राम सेवा सहकारी समितियों में रिक्त पदों पर भर्ती के लिए सहकारी भर्ती बोर्ड गठन को लेकर सहकारिता विभाग वर्ष 2017 से निरंतर आदेश एवं निर्देश जारी कर रहा हैं, लेकिन जोधपुर मुख्यालय में खंडीय अधिकारी का कार्यालय होने के बावजूद सीसीबी और उप रजिस्ट्रार के कानों में इसकी भनकार तक नहीं पहुंच रही हैं, ऐसा इसलिए कह रहे हैं क्योंकि वर्ष 2017 में राजस्थान सहकारी भर्ती बोर्ड के गठन के साथ ही सहकारी समितियों में कर्मियों की प्रस्ताव प्रणाली नियुक्ति प्रक्रिया पर रोक होने के बावजूद जोधपुर सीसीबी कार्यक्षेत्र की ग्राम सेवा सहकारी समितियों में वर्ष 2017 के पश्चात नई नियुक्तियां हो गईं और इसका चलन नियमों को धात बताकर बैकडेट प्रस्ताव के जरिए चला हैं। इस नियम विरुद्ध प्रक्रिया पर कार्यवाही करने के बजाए खंडीय अधिकारी, सीसीबी के अधिकारी और उप रजिस्ट्रार कार्यालय इसे संरक्षण देने में लगे हुए हैं, वही अवैध नियुक्तियां पाकर अपात्र व्यक्ति स्क्रैनिंग के माध्यम से नियमित तक हो



2018 में विभाग ने दिया जवाब

राज्य में भजनलाल सरकार के संसदीय कार्यमंत्री जोगाराम पटेल ने 14वें विधानसभा में लूणी पंचायत समिति अंतर्गत संचालित ग्राम सेवा सहकारी समितियों में कार्यरत कार्मिकों की जानकारी के संबंध में 24 जनवरी 2018 को एक अतारंकित प्रश्न किया था, जिसके प्रतिउत्तर में विभाग ने 39 सहकारी समितियों के कार्मिकों की जानकारी दी, जिसमें ऐसे कई कार्मिकों का नाम नहीं हैं, जो आज वर्तमान समय में सहकारी समितियों में व्यवस्थापक बनकर बैठे हैं ।

नाम का उल्लेख नहीं और व्यवस्थापक पद पर आसीन

जिले में उदाहरण के तौर पर डोली एवं पाल ग्राम सेवा सहकारी समिति को समझा जा सकता हैं, जहां, विधानसभा में वर्ष 2018 में विभाग की ओर से दी गई जानकारी के अनुसार, वित्तीय वर्ष 2016-17 में डोली सहकारी समिति में अर्जुन कुमार को व्यवस्थापक एवं गगन विसन को सहायक व्यवस्थापक वही पाल में प्रतापसिंह को व्यवस्थापक बताया गया हैं, जबकि वर्तमान में डोली सहकारी समिति में भंवरलाल पटेल और पाल सहकारी समिति में दीपक व्यास को मुख्य कार्यकारी व्यवस्थापक बनाया हुआ हैं, वही सेवड़ा ग्राम सेवा सहकारी समिति में व्यवस्थापक पद का चार्ज गोरधनराम (गगाड़ी) को दिया हुआ हैं, जबकि गगाड़ी समिति में फसली ऋण पोर्टल की आई.डी धर्मागर के नाम से बनाकर समिति का कार्य संपन्न करवाया जा रहा हैं, ऐसी स्थिति जोधपुर जिले की दर्जनभर ग्राम सेवा सहकारी समितियों में व्यवस्थापक पद को लेकर बनी हुई हैं।

गए हैं इन अपात्रों को उपकृत करने के लिए जिला स्तरीय स्क्रैनिंग चयन कमेटी ने राजस्थान उच्च न्यायालय के स्ट्रे को भी दरकिनार कर कागजी कार्यवाही में अवरूबर

2023 को ग्राम सेवा सहकारी समितियों में कार्यरत कार्मिकों को स्क्रैनिंग के माध्यम से नियमितिकरण होने का आदेश जारी कर दिया, जिससे कई अपात्र भी बहती

रिकॉर्ड में अस्थाई और पांच समितियां का चार्ज

रजिस्ट्रार सहकारी समितियां जयपुर में अतिरिक्त रजिस्ट्रार बैकिंग तत्कालीन भोगाराम द्वारा व्यवस्थापक चार्ज को लेकर वर्ष 2020 में एक आदेश जारी किया गया था, जिसमें एक मूल समिति और एक अन्य समिति का चार्ज देने के निर्देश जारी किए गए थे, जबकि जोधपुर जिले की वेठ, दर्दकन, लोई दयाजगता, डन्नेका, नारवा सहकारी समिति का चार्ज अस्थाई व्यवस्थापक ओमप्राकाश के पास हैं, इसी प्रकार, सुमिल नाम के अस्थाई व्यवस्थापक के पास मौखेरी, पैनुपुर, गांधीसागर एवं प्रेमचंद के पास सुरुपुर, बालरवा, जाजीवाल खिवांव व हजारी राम के पास बड़नका, नारनाड़ी, रिंगना समिति का चार्ज दिया हुआ हैं, जिससे प्रतिक्रिया हो रही हैं कि जोधपुर सीसीबी में केवल-और-केवल अपने ही नियम कायदे एवं कानून चल रहे हैं ।

गंगा में हाथ धोकर "भैनेजर साहेब" बनकर बैठ गए हैं। गौरतलब हैं कि राजस्थान उच्च न्यायालय की जयपुर खंडपीठ ने स्क्रैनिंग चयन प्रक्रिया पर 30 सितंबर 2022 को स्थगन आदेश दिया था, जिसकी पालना सुनिश्चित करने के लिए रजिस्ट्रार सहकारी समितियां जयपुर ने समस्त अतिरिक्त रजिस्ट्रार को पत्र भी लिखा था

रिकॉर्ड में पद रिक्त और समितियां में मुख्य कार्यकारी का पदभार

सहकारिता विभाग से प्राप्त जानकारी के अनुसार, जिले की आगोलाई, ढाढणियां, गिलाकोर ग्राम सेवा सहकारी समितियों में वर्ष 1984 से व्यवस्थापक का पद रिक्त हैं, इसी प्रकार शेरगढ़, सुवालिया में 2008 से तो वही 26 ग्राम सेवा सहकारी समितियों में 1984 से लेकर 2017 तक व्यवस्थापकों के पद खाली पड़े हैं और वित्त दाता बैंक द्वारा सहकारी भर्ती बोर्ड को नियमानुसार रिक्त पदों पर भर्ती प्रक्रिया की अभ्यर्थना भेजने के बजाए अयोग्यताधारी लोगों को समितियों में मुख्य कार्यकारी व्यवस्थापक का चार्ज थमाया हुआ हैं, इतना ही नहीं जिले की 50 से ज्यादा ग्राम सेवा सहकारी समितियों में व्यवस्थापकीय सेवानियम 2008 में निहित प्रक्रिया का पूर्ण पालन किए बिना ही व्यवस्थापकों को समिति स्तर से नियुक्ति करने के पश्चात पूर्व समय में जिला स्तरीय स्क्रैनिंग कमेटी के माध्यम से इनका नियमितिकरण भी कर दिया गया हैं ।

नहरी क्षेत्र के किसान खाद के लिए हो रहे परेशान, खाली पड़े सहकारी समितियों के गोदाम

मारवाड़ का मित्र नेटवर्क
www.marwadkamitra.in

सांचौर । नर्मदा नहरी क्षेत्र के किसानों को डीएपी-खाद के लिए बुवाई के दौर में परेशान होना पड़ रहा है। स्थिति यह है कि अधिकांश सहकारी समितियों में ही डीएपी नहीं है वहीं दुकानों के गोदाम भी खाद से रीते पड़े हुए हैं। प्राप्त जानकारी के अनुसार रबी की फसलों में किसानों को डीएपी खाद की सख्त जरूरत है। किसानों को कहीं भी जरूरत के अनुसार डीएपी नहीं मिल रहा। किसान डीएपी के लिए भटकने के मजबूर हैं। सहकारी समितियों के साथ ही दुकानों के गोदाम भी खाद की कमी से रीते पड़े हैं। मांग अनुरूप आपूर्ति नहीं होने से डीएपी की किल्लत ने किसानों की परेशानी बढ़ा रखी हैं। मुंह मांगा दाम देकर भी किसानों को पर्याप्त डीएपी नहीं मिल रहा। रोजाना किसान सहकारी समितियों व दुकानों पर भटक रहे

हैं, लेकिन सब जगह डीएपी नहीं होने का जवाब मिल रहा है। डीएपी के अभाव में कई किसान बुवाई से भी पीछे हट रहे हैं। जिससे बुवाई भी पिछड़ी जा रही है। उल्लेखनीय है कि खेतों में अधिकांश किसानों ने सरसों, जीरा, इस्बगोल जैसी फसलों की बुवाई कर दी। किसान अंकुरित फसलों में सिंचाई कर रहे हैं। सिंचाई के दौरान ही किसानों को डीएपी की जरूरत पड़ रही है। वहीं तात्मान अनुकूल होने से गेहूं की बुवाई भी शुरू होने लगी है। गेहूं की बुवाई में भी किसानों को डीएपी की जरूरत है। लेकिन डीएपी कहीं नहीं मिल रहा। डीएपी की किल्लत का आलम यह है कि किसान सब काम छोड़कर डीएपी के बंदोबस्त के लिए दुकानों व सहकारी समितियों में चकर काटने को मजबूर हैं। गेहूं की बुवाई शुरू होने वाली है, ऐसे में मांग बढ़ने के बावजूद आपूर्ति कम हो रही है।

शालन सचिव कृषि एवं उद्यानिकी ने भीलवाड़ा में क्रय-विक्रय सहकारी समिति एवं कृषि विज्ञान केंद्र का किया निरीक्षण

मारवाड़ का मित्र नेटवर्क
www.marwadkamitra.in

जयपुर। शासन सचिव कृषि एवं उद्यानिकी श्री राजन विशाल द्वारा भीलवाड़ा में मिट्टी परीक्षण प्रयोगशाला में मृदा विश्लेषण प्रक्रिया की जानकारी विभागीय अधिकारियों द्वारा ली गई तथा मृदा स्वास्थ्य कार्ड जारी करने की प्रगति की समीक्षा की। शासन सचिव द्वारा जिले के अधिकारियों द्वारा राज किसान साथी पोर्टल पर डीबीटी योजनाओं की प्रगति, एसएनए स्पर्श एवं गुण नियंत्रण कार्य की प्रगति की चर्चा की गई। शासन सचिव द्वारा कार्यालय में ई-फाइलिंग, उर्वरक



नमूना प्रक्रिया, फसल बीमा प्रगति की जानकारी, बुवाई सूचना संकलन की प्रक्रिया, ऑनलाइन बिल प्रक्रिया आदि के बारे में विस्तार से जानकारी ली एवं विभागीय अधिकारियों को आवश्यक निर्देश दिए। श्री राजन विशाल ने अधिकारियों को

निर्देशित किया कि कृषि विभाग की योजनाओं द्वारा ज्यादा से ज्यादा कृषकों को लाभान्वित करें तथा कृषि पर्यवेक्षक ग्रामीण क्षेत्रों में चौपालों का आयोजन कर विभागीय योजनाओं की जानकारी कृषकों तक पहुंचा कर उन्हें लाभान्वित

करें।शासन सचिव ने कृषि भवन निरीक्षण के उपरान्त क्रय-विक्रय सहकारी समिति भीलवाड़ा एवं शर्मा बीज भण्डार पर आदान व्यवस्थाओं का निरीक्षण किया एवं आवश्यक दिशानिर्देश दिए। इसके उपरान्त कृषि विज्ञान केन्द्र भीलवाड़ा पर उन्नत कृषि प्रक्रियाओं का निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान अतिरिक्त निदेशक कृषि श्री रामावतार शर्मा, संयुक्त निदेशक कृषि (वि.) गोपाल लाल कुमारवत, संयुक्त निदेशक उद्यान श्री महेश चेजारा एवं परियोजना निदेशक आत्मा श्री शंकर सिंह राठौड़ एवं अन्य विभागीय अधिकारी उपस्थित रहे।

जिला कलक्टर ने सायला पंचायत समिति में जनसुनवाई कर समस्याओं का किया निस्तारण

मारवाड़ का मित्र नेटवर्क
www.marwadkamitra.in

जालौर। राज्य सरकार द्वारा पारदर्शी एवं संवेदनशील सुशासन के लिए आमजन की परिवेदनाओं व समस्याओं के त्वरित गति से समाधान के लिए जिले में ब्लॉक स्तर पर अटल जन सेवा शिविरों का आयोजन किया गया जिनमें आमजन की परिवेदनाएँ प्राप्त कर प्रकरणों का निस्तारण किया गया। जिला कलक्टर डॉ. प्रदीप के. गावडे ने सायला पंचायत

समिति सभागार में आयोजित उपखण्ड स्तरीय जनसुनवाई के दौरान आमजन की समस्याओं को सुनकर उनके निस्तारण के लिए संबंधित ब्लॉक स्तरीय अधिकारियों को निर्देश दिए। उन्होंने अधिकारियों को केन्द्र व राज्य सरकार की जनकल्याणकारी योजनाओं का लाभ आमजन तक पहुँचाने के साथ ही जनता की समस्याओं पर प्रभावी मॉनिटरिंग करते हुए परिवेदों के मौके पर ही निस्तारण के निर्देश दिए।

183.22 करोड़ रुपये का डीबीटी के माध्यम से किया भुगतान

जयपुर। राज्यभर की सहकारी डेयरियों से जुड़े दुग्ध उत्पादकों को दीपावली के अवसर पर मुख्यमंत्री दुग्ध उत्पादक सम्बल योजना के अन्तर्गत 5 रुपये प्रति लीटर की दर से अनुदान राशि मिलने से खुशी को लहर है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के निर्देशों पर दीपावली से ठीक पहले दुग्ध उत्पादकों को 183.22 करोड़ रुपये का भुगतान किया जा चुका है। इससे राज्यभर में 3.25 लाख से अधिक दुग्ध उत्पादक लाभान्वित हुए हैं। इतना ही नहीं, फैडरेशन से सम्बद्ध अलग-अलग जिला दुग्ध संघों की दुग्ध समितियों द्वारा राज्यभर के दुग्ध उत्पादकों को दीपावली से पूर्व 20 करोड़ रुपये से अधिक का लाभार्श अलग से वितरित किया गया है। यह जानकारी देते हुए राजस्थान को-ऑपरेटिव डेयरी फैडरेशन के प्रबन्ध संचालक श्रीमती श्रुति भारद्वाज ने बताया कि वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिये मुख्यमंत्री दुग्ध उत्पादक सम्बल योजना के अन्तर्गत 600 करोड़ रुपये का बजट प्रावधान किया गया था। दीपावली से पूर्व राज्य सरकार से राशि प्राप्त होने पर आरसीडीएफ द्वारा डीबीटी के माध्यम से दुग्ध उत्पादकों को 183.22 करोड़ रुपये का भुगतान किया जा चुका है। राज्यभर के दुग्ध उत्पादकों में मुख्यमंत्री दुग्ध उत्पादक सम्बल योजना के अन्तर्गत अनुदान और लाभार्श वितरण से खुशी को लहर है। श्रीमती भारद्वाज ने बताया कि राजस्थान राज्य की सहकारी डेयरियों में दुग्ध संकलन में लगातार हो रही बढ़ोतरी में मुख्यमंत्री दुग्ध उत्पादक सम्बल योजना के अन्तर्गत दुग्ध उत्पादकों को मिलने वाले अनुदान का बहुत बड़ा योगदान है।



समर्थन जलौ
राजस्थान सरकार



भजनलाल शर्मा, मुख्यमंत्री
श्री नरेन्द्र मोदी
राष्ट्रपति

“राज्य में इस वर्ष औसत से अधिक वर्षा होने के फलस्वरूप बुवाई क्षेत्रफल बढ़ने के साथ ही उर्वरकों की मांग में बढ़ोतरी हुई है। ऐसे में कृषकों से अनुरोध है कि उर्वरकों का आवश्यकतानुसार प्रयोग करें, अनावश्यक रूप से अतिरिक्त भण्डारण न करें ताकि उर्वरकों की मांग तथा आपूर्ति का संतुलन कायम रहे।”

भजनलाल शर्मा, मुख्यमंत्री

एसएसपी, यूरिया उर्वरक अपनाओ संतुलित पोषण, अधिक उपज पाओ

सिंगल सुपर फॉस्फेट (एसएसपी) एक फॉस्फोरस युक्त उर्वरक है, जिसमें 16 प्रतिशत फॉस्फोरस एवं 11 प्रतिशत सल्फर की मात्रा पायी जाती है। इसमें उपलब्ध सल्फर के कारण यह उर्वरक तिलहन की एवं दलहन की फसलों के लिये अन्य उर्वरकों की अपेक्षा अधिक लाभदायक है।

डीएपी के स्थान पर एसएसपी + यूरिया अपनाएं, संतुलित पोषण द्वारा अधिक उपज पायें।

डीएपी 50 कि.ग्र.	एसएसपी 150 कि.ग्र.	यूरिया 45 कि.ग्र.
नाइट्रोजन - 9 कि.ग्र.	फॉस्फोरस - 24 कि.ग्र.	नाइट्रोजन - 20.7 कि.ग्र.
फॉस्फोरस - 23 कि.ग्र.	सल्फर - 16.5 कि.ग्र.	

खेती में उत्पादन लागत कम करने एवं मृदा में पोषक तत्वों की उपलब्धता संतुलित बनाये रखने के लिए सॉलर हेन्ट्र चार्ज में दी गई अनुसंधान अनुसार उर्वरक उपयोग करें।

फसलों में मुख्य पोषक तत्वों की संतुलित आपूर्ति हेतु उपयुक्त एनपीके ग्रेड्स उर्वरकों का उपयोग करें

किसान भाई आवश्यकता अनुसार ही उर्वरकों की खरीद करें, अनावश्यक भण्डारण नहीं करें।

उर्वरकों के समुचित वितरण में कृषि विभाग एवं जिला प्रशासन का सहयोग करें।

उर्वरक उपलब्धता एवं उपयोग संबंधी अधिक जानकारी के लिए/ जमाखोरी की सूचना प्राप्त होने पर कृषि विभाग के हेल्पलाइन 0141-2227674 पर सम्पर्क करें।

कृषि विभाग, राजस्थान
https://agriculture.rajasthan.gov.in

सीए फर्म द्वारा लगातार 2 वर्ष लेखा परीक्षा के उपरांत लेखा परीक्षा रेटेशन विभागीय ऑडिटर द्वारा संपन्न करने के निर्देश

30 सितंबर तक सहकारी सोसायटियों का ऑडिट कार्य संपन्न नहीं होने पर लेखा परीक्षकों की होगी पुनर्नियुक्ति

जम्मेश्वर ग्राम सेवा सहकारी समिति लिमिटेड बासड़ाधनजी

किसानों से अपील
एकमुश्त समाधान योजना 2024 का लाभ उठाने के लिए ग्राम सेवा सहकारी समिति लिमिटेड या जालौर केंद्रीय सहकारी बैंक लिमिटेड की अग्रणीय शाखा में संपर्क करें।

श्रीमती धीरेन्द्रकंवर अग्रवाल
श्री पीराराम गर्ग मुख्य कार्यकारी व्यवस्थापक
शिवनाथसिंह राजपुरोहित उपाध्यक्ष

सहकारिता का ध्येय वाक्य “एक सब के लिए, सब एक के लिए”

देव दिपावली के पावन पर्व पर आप सब को हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं

अल्पकालीन फसली ऋण का समय पर चुकारा कर, सोसाइटी एवं बैंक की प्रगति में भागीदार बनें और आगामी सीजन में पुनः फसली ऋण प्राप्त करने की पात्रता अर्जित करें।

मारवाड़ का मित्र नेटवर्क
www.marwadkamitra.in

जयपुर । प्रदेश की सहकारी सोसायटियों की ऑडिट को लेकर रजिस्ट्रार सहकारी समितियां की ओर से गत दिनों एक परिपत्र जारी किया गया हैं, यह परिपत्र निर्धारित तिथि 30 सितंबर से पूर्व सहकारी सोसायटियों का वार्षिक वैधानिक लेखा विभाग को प्राप्त नहीं होने के कारण जारी हुए हैं, इनमें अब सीए फर्म के लिए संस्थाओं की सेवा के साथ सहकारी संस्थाओं के लेखा परीक्षा कार्य की अधिकतम अवधि भी निर्धारित की गई है। जिसमें सहकारी संस्थाओं के लेखा परीक्षक के रुप में फर्म को अधिकतम 30 सहकारी संस्थाओं की सेवा तथा ग्राम सेवा सहकारी समितियों के लेखा परीक्षक के लिए अधिकतम 15 सहकारी संस्थाओं की सेवा निर्धारित की गई हैं । साथ ही शीर्ष सहकारी संस्थाओं, केन्द्रीय सहकारी बैंकों, अरबन कॉर्पोरेट बैंकों के



अतिरिक्त अन्य सहकारी सोसायटियों की सीए फर्म द्वारा लगातार 2 वर्ष लेखा परीक्षा के उपरांत लेखा परीक्षा रेटेशन विभागीय ऑडिटर द्वारा संपन्न करने के निर्देश दिए गए हैं, गौरतलब हैं कि राजस्थान सहकारी सोसायटी अधिनियम 2001 की धारा 54 (2) के अनुसार विहित पैनेल में से लेखा परीक्षक की नियुक्ति 31 मई तक आवश्यक रूप करने और धारा 54 (3) के तहत वित्तीय वर्ष के लेखों की लेखा परीक्षा उस वित्तीय वर्ष समाप्ति के 6 माह के भीतर करवाए जानेका दायित्व

सम्बन्धित सहकारी सोसायटी का हैं वही परिपत्र के मुताबिक निर्धारित प्रावधानानुसार यदि सहकारी समिति द्वारा विभागीय ऑडिटर से लेखा परीक्षा करवाए जाने का निर्णय लिया जाएगा, तो उस प्रस्ताव को निर्धारित समय यानि 31 मई से पूर्व राज सहकार पोर्टल पर अपलोड करना होगा । इतना ही नहीं अगर 31 मई तक सहकारी संस्था द्वारा लेखा परीक्षा के लिए ऑडिटर की नियुक्ति नहीं होती हैं, तो संबंधित रजिस्ट्रार कार्यालय को 15 जून से पूर्व लेखा परीक्षक की नियुक्ति करनी होगी ।

अधिकतम कार्य दिवस निर्धारित

सहकारिता विभाग पंजीयक की ओर से जारी परिपत्र में वार्षिक वैधानिक लेखा परीक्षा का कार्य निर्धारित समयवधि में संपादित करने के निर्देश दिए गए हैं, जिसमें शीर्ष बैंक का अधिकतम 2 माह की अवधि में तथा केंद्रीय सहकारी संस्थाओं, पीएलडीबी, जिला दुग्ध उत्पादक संघ, अरबन कॉर्पोरेट बैंक के लिए भी 2 माह की अवधि निर्धारित की गई है। इसी प्रकार केवीएसएस, सहकारी संघ, होलसेल भण्डार के लिए 20 दिवस एवं सहकारी समितियों के लिए 5 दिवस तथा प्राथमिक दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति के लिए 3 दिवस निर्धारित की गई हैं, वही अन्य प्राथमिक सहकारी समितियों के लिए अधिकतम 3 दिवस की अवधि निर्धारित की गई है।

हानि वाली समितियों में ऑडिटर की नियुक्ति अनिवार्य

परिपत्र के अनुसार संबंधित विभागीय कार्यालय द्वारा वित्तीय असन्तुलन एवं निरंतर हानि वाली ग्राम सेवा सहकारी समितियों में विभागीय ऑडिटर की नियुक्ति करना अब अनिवार्य है। साथ ही संबंधित रजिस्ट्रार कार्यालय द्वारा मासिक अपेक्षित लक्ष्य निर्धारण कर निरंतर मोनेटरिंग करते हुए सहकारी संस्थाओं का वार्षिक वैधानिक लेखा 30 सितंबर से पूर्व पूर्ण करवाने के निर्देश दिए गए हैं। वही अगर सहकारी सोसायटियों द्वारा 30 सितंबर तक लेखा परीक्षा पूर्ण नहीं करवाया जाता है, तो संबंधित रजिस्ट्रार तत्काल लेखा परीक्षक की पुनर्नियुक्ति कर अविलंब लेखा परीक्षा कार्य पूर्ण करवा सकता है।

रिकॉर्ड उपलब्ध नहीं करवाने पर होगी कार्यवाही

ऑडिट को लेकर जारी परिपत्र के मुताबिक अगर किसी सहकारी सोसायटी द्वारा लेखा परीक्षक को लेखा परीक्षा करवाने के लिए रिकॉर्ड उपलब्ध नहीं करवाया जाता है, या ऑडिट नहीं करवाई जाती हैं, तो उस सोसायटी के विरुद्ध परीक्षक द्वारा नोटिस जारी कर अविलंब संबंधित रजिस्ट्रार को लिखित में अवगत करवाना होगा । इस स्थिति में संबंधित रजिस्ट्रार कार्यालय द्वारा अधिनियमानुसार कार्यवाही करने का प्रकरण तैयार कर संबंधित खण्डीय अतिरिक्त रजिस्ट्रार, उप, सहायक रजिस्ट्रार को भेजा जाएगा, जिस पर संबंधित रजिस्ट्रार द्वारा सोसायटी के विरुद्ध अधिनियमानुसार कार्यवाही की जाएगी ।

स्वातधिकारी, स्वामी, प्रकाशक, संपादक एवं मुद्रक प्रकाश वैष्णव द्वारा वैष्णव कंप्यूटर प्रिन्टर, वैष्णव फार्म परावा 3430401 जिला-सांचौर (राज.) से मुद्रित एवं सुभाष नगर सांचौर से प्रकाशित । संपादक मो. 9602473302 । नोट : पीआरबी एवट के तहत छबर चयन के लिए उत्तरदायी । (तमाम विवादों का न्याय क्षेत्र सांचौर (राज.) होगा) समाचार संकलन में यद्यपि पूर्ण विश्वसनीयता बरती जाती है तथापि तकनीकी त्रुटियां व अन्य किसी कारणवश समाचार प्रकाशन में त्रुटि होना संभावित है । इस प्रकार की त्रुटि के लिए प्रबन्धन पाक्षिक "मारवाड़ का मित्र" किसी भी प्रकार से जिम्मेदार नहीं होगा । समाचार पत्र के प्रकाशन की तिथि से एक माह के भीतर ही प्राप्त होने वाली प्रकाशन संबंधी शिकायत/आपत्ती पर विचार होगा एक माह बाद शिकायत आपत्ती पूर्णतया अस्वीकार अमान्य होगी । इस समाचार पत्र से संबंधित समस्त वाद-विवादों का न्यायिक क्षेत्र सांचौर (राज.) रहेगा ।

